

Email id -

seeudc1qzb@gmail.com

CUG Mob.-9193320111

CIN:U31200UP2003SGC027458



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
ए-ब्लॉक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर,
गाजियाबाद।

पत्रांक 2876/वि०न०वि०म०-प्रथम/गा०बाद

दिनांक 03-02-2024

विषय:-विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
विराट वैभव, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनांक 04.02.2024 तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बड़ा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छांपें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनांक भी छोटे से छोटे टाइप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे-बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई-निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई-निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
 2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
 3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8-10 प्वाइंट टाइप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
 4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन भुगतान नहीं किया जायेगा।
 5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें। विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।
- संलग्नक:-विज्ञापन सामग्री

भवदीय

(महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक : 2876/वि०न०वि०मण्डल-प्रथम/गा०बाद

दिनांक:- 03-02-2024

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाइट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि०), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ। (ई-मेल:-propvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

(महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु हल्के डीजल चलित वाहनों(लाइसेंसमय चालक सहित) को किराये पर रखने हेतु निम्न ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 19.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं 19.02.2024 को 17:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेगी। निविदा संख्या, धरोहर राशि एवं सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारी क्रमशः है:-56/2023-24/EUDC-1GZB रू०-3120 मु० अभि०(वि०)-प्र०, 57/2023-24/EUDC-1GZB रू०-3000 अघि० अभि०, वि०न०वि०म०-प्र०, 58/2023-24/EUDC-1GZB रू०-3000 उपमुख्य लेखाधिकारी, 59/2023-24/EUDC-1GZB रू०-3000 प्रवर्तन दल-प्र०, 60/2023-24/EUDC-1GZB रू०-7920 अघि० अभि०, वि०न०वि०ख०-प्र०, एवं एसडीओ-प्र० एवं द्वि०, 61/2023-24/EUDC-1GZB रू०-7920 अघि० अभि०, वि०न० वि० ख० -तृ०, एवं एसडीओ-प्र० एवं द्वि०, 62/2023-24/EUDC-1GZB रू०-7920 अघि० अभि०, वि०न०वि०ख०-पं०, एवं एसडीओ- प्र० एवं द्वि०, 63/2023-24/EUDC-1GZB रू०-10560 अघि० अभि०, वि०न०वि०ख०-न०, एवं एसडीओ-प्र०, द्वि० एवं तृ०, 64/2023-24/EUDC-1GZB रू०-13200 अघि० अभि०, वि०न०प०ख०-प्र०, एवं सहा० अभि०(मी०)-प्र०, तृ०, पं० एवं न०। अघोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाइट www.pvvnl.org पर देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद
Electricity Urban Division
Ghaziabad

“राष्ट्रहित में बिजली बचाये”

मुख्यमंत्री ने किया 800 करोड़ की 353 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण

देव नगर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 800 करोड़ लागत की 353 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 134 करोड़ की 126 योजनाओं का लोकार्पण 100 करोड़ की 157 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 800 करोड़ लागत की 353 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 134 करोड़ की 126 योजनाओं का लोकार्पण 100 करोड़ की 157 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।



मुख्यमंत्री ने 30 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें 10 करोड़ की लागत की 10 योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने 30 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें 10 करोड़ की लागत की 10 योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए हैं।

कविता ने दिवंगत को प्रतीकित करने को लेकर तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा

तेलंगाना सरकार के कविता ने दिवंगत को प्रतीकित करने को लेकर तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा। कविता ने कहा कि सरकार ने दिवंगत को प्रतीकित करने को लेकर तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा।

गुजरात में दो रात के बवंड़े पर पिटवुल कृते ने किया हमला

गुजरात में दो रात के बवंड़े पर पिटवुल कृते ने किया हमला। पिटवुल कृते ने कहा कि गुजरात में दो रात के बवंड़े पर पिटवुल कृते ने किया हमला।

फोर्टिस फरीदाबाद में एडवांस वर्टिको क्लीनिक की शुरुआत

देव नगर

फोर्टिस फरीदाबाद में एडवांस वर्टिको क्लीनिक की शुरुआत। फोर्टिस फरीदाबाद में एडवांस वर्टिको क्लीनिक की शुरुआत।



हिमाचल : करखाने में आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हुई, बूझाने के प्रयास जारी

हिमाचल : करखाने में आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हुई, बूझाने के प्रयास जारी। हिमाचल : करखाने में आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हुई, बूझाने के प्रयास जारी।

हिमाचल: दो दिनों की बर्फबारी के बाद चार राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद

देव नगर

हिमाचल: दो दिनों की बर्फबारी के बाद चार राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद। हिमाचल: दो दिनों की बर्फबारी के बाद चार राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद।

हिमाचल: दो दिनों की बर्फबारी के बाद चार राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद। हिमाचल: दो दिनों की बर्फबारी के बाद चार राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद।

उतराखंड : यूसीसी मसौदे में बहुविवाद और बाल विवाह बैन

उतराखंड : यूसीसी मसौदे में बहुविवाद और बाल विवाह बैन। उतराखंड : यूसीसी मसौदे में बहुविवाद और बाल विवाह बैन।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0।

गैरटल

कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी के साथ अब तक 50 को मिल चुका है भारत रत्न

देव नगर

कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी के साथ अब तक 50 को मिल चुका है भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी के साथ अब तक 50 को मिल चुका है भारत रत्न।

कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी के साथ अब तक 50 को मिल चुका है भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी के साथ अब तक 50 को मिल चुका है भारत रत्न।

गैरटल

कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी के साथ अब तक 50 को मिल चुका है भारत रत्न

कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी के साथ अब तक 50 को मिल चुका है भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी के साथ अब तक 50 को मिल चुका है भारत रत्न।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0।



पत्रांक-394 / मु०अ०गा०क्ष०-प्रथम/गा०बाद/वाहन/2024-25

दिनांक 2 FEB 2024

कार्यालय ज्ञाप

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-2800 दिनांक-24.01.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक-01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु निम्नलिखित कार्यालय में उनके सामने अंकित हल्के डीजल चालित वाहन को बाह्य एजेन्सी के माध्यम से किराये पर रखने प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति हेतु अनुरोध किया है।

एतद्वारा अधीक्षण अभियन्ता (मु०) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ के पत्रांक-9361/प०वि०वि०नि०लि०/मु०/वाहन दर/2024-25 दिनांक-18.12.2023 के तालिका-क एवं तालिका-ख (पुलिस प्रवर्तन दल-शहरी गाजियाबाद) के अनुपालन में निम्नलिखित अनुमन्य अधिकारियों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक-01.04.2024 से 31.03.2025 तक) के लिए हल्के डीजल वाहन (चालक सहित) बाह्य एजेन्सी से ई-निविदा के द्वारा किराये पर रखने हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रदान की जाती है:-

| क्र०सं० | पद का नाम | वाहन अनुमन्य | सं० |
|---------|--|-----------------|--------|
| 1 | मुख्य अभियन्ता (वितरण) गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम गाजियाबाद। | कार | 01 नं० |
| 2 | अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि०) गाजियाबाद क्षेत्र गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 3 | उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वि०) गाजियाबाद | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 4 | अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम गाजियाबाद। | कार | 01 नं० |
| 5 | अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 6 | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-प्रथम, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 7 | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-द्वितीय, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 8 | अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 9 | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-प्रथम, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 10 | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-द्वितीय, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 11 | अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-पंचम, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 12 | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-प्रथम, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 13 | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-द्वितीय, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 14 | अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-नवम गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 15 | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-प्रथम, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 16 | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-द्वितीय, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 17 | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-तृतीय, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 18 | अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण-प्रथम, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 19 | सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत नगरीय परीक्षणशाला-प्रथम, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 20 | सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत नगरीय परीक्षणशाला-तृतीय, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 21 | सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत नगरीय परीक्षणशाला-पंचम, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 22 | सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत नगरीय परीक्षणशाला-नवम, गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |
| 23 | कार्यालय पुलिस प्रवर्तन दल प्रथम (शहर), गाजियाबाद। | डीजल चालित वाहन | 01 नं० |

नियम व शर्तें-

- उक्त समस्त वाहनों को किराये पर रखने की प्रक्रिया ई-निविदा के माध्यम से की जायेगी।
- उ०प्र० पावर कार्पोरेशन के आदेश सं०-295/कार्य/14/पाकालि/2000-2003 दि०-27.02.2003 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जाये।
- उपरोक्त वाहन मुख्य अभियन्ता हेतु 28,000.00 अधिकतम, अधीक्षण अभियन्ता एवं उपमुख्य लेखाधिकारी स्तर के अधिकारियों एवं प्रवर्तन दल हेतु रु०-25,000/-अधिकतम तथा डीजल चालित वाहन हेतु अनुमन्य अधिकारियों के लिये रु०-22,000/- अधिकतम प्रतिमाह के आधार पर वाहन चालक सहित किराये पर रखे जायेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना न हो।
- यदि कोई अधिकारी दोहरा कार्यभार वहन कर रहा है तो उसे केवल एक ही वाहन अनुमन्य होगा।
- निगम मुख्यालय मेरठ द्वारा अपने उपरोक्त पत्र सं०-1292 दिनांक-16.02.2023 के द्वारा प्रतिमाह उपभोग की अधिकतम सीमा निम्नवत् निर्धारित की गयी है:-

अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), शहरी हेतु-2500 कि०मी०, ग्रामीण 3000 कि०मी०, उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय हेतु-2500 कि०मी०, अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण) शहरी हेतु-1500 कि०मी०, ग्रामीण-2500 कि०मी०, अधिशासी अभियन्ता निर्माण/कार्यशाला/कार्य/जानपद/मण्डार) -2500 कि०मी०, सहायक अभियन्ता मीटर/कार्य/जनपद/कार्यशाला शहरी में 1500 कि०मी०, ग्रामीण 2000 कि०मी० तथा सहायक अभियन्ता निर्माण/आई०टी० 2000 कि०मी०, उपखण्ड अधिकारी वितरण शहरी 1500 कि०मी० ग्रामीण 2000 कि०मी०।

(हस्ताक्षर)

(क्रमशः 02)

6. उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के कार्यालय आदेश सं0-903/जी0ए0/पाकालि-12/2002-5(28)जी0ए0/72 दिनांक-22.08.2002 के अनुसार जिन अधिकारियों को जीप आवंटित की जायेगी उनके वेतन से जीप हेतु रुपये 400/-प्रतिमाह प्रति जीप काटे जायेंगे तथा कार आवंटित होने पर रु0 500/-प्रति कार प्रति माह काटे जायेंगे। इस सम्बन्ध में यदि अन्य कोई आदेश प्राप्त होता है, तो वह नियमनुसार लागू होगा।
7. उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ के आदेश संख्या-1566/जी0ए0/सविप-12/97-5(2) जी0ए0/97 दिनांक 31.05.1997 के द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन भी किराये पर रखे जाने वाले वाहनों के लिये किया जायेगा।
8. वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा एवं वाहन तथा चालक की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी। ड्राइवर की नाईट शिफ्ट का कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लें कि वाहन चालक को उचित मानदेय उपलब्ध हो जाये।
9. वाहन का प्रयोग करने वाले अधिकारी लॉग-बुक में नियमित रूप से प्रतिदिन प्रविष्टियाँ अंकित करेंगे तथा लॉग-बुक एकाउण्ट प्रतिमाह प्रेषित करेंगे।
10. ईंधन पर होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
11. गाडी खराब होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरी गाडी 02 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रु0 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनाल्टी (जिस अवधि में गाडी उपलब्ध नहीं होगी) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
12. ड्राइवर की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी तथा ड्राइवर के अनुपस्थित होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरे ड्राइवर को 02 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रु0 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनाल्टी (जिस अवधि में ड्राइवर उपलब्ध नहीं होगा) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
13. किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का उपयोग केवल निगमीय कार्यों के निष्पादन हेतु ही किया जायेगा।
14. जिन अधिकारियों को आवंटित पुराने वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करके नीलाम नहीं किया गया है तथा धनराशि नहीं जमा करायी गई है, वहां किराये पर वाहन रखने हेतु प्रशासनिक/वित्तीय अनुमति तक तक प्रदान नहीं की जायेगी जब तक अप्रयोज्य वाहन की नीलामी के बाद धनराशि विभाग में जमा नहीं हो जायेगी। इसका पालन कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
15. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
16. उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त वाहन का प्रयोग राजस्व वसूली/कैम्पों हेतु भी किया जायेगा, जिसके लिए वे उक्त वाहन पर लाउडस्पीकर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराना सुनिश्चित करेंगे।

(नीरज स्वरूप)
मुख्य अभियन्ता

पत्रांक- 394 /मु0अ0गा0क्षे0-प्रथम/वाहन/ तददिनांक- 02 FEB 2024
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक (का0 एवं प्रशा0), पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (मु0), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।
4. उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वि0) गाजियाबाद।

(नीरज स्वरूप)
मुख्य अभियन्ता